चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे “मिशन शक्ति अभियान-4” के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/‘‘शक्ति दीदी’’ द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

“मिशन शक्ति अभियान-4” व ‘‘शक्ति दीदी’’ अभियान के तहत आज दिनांक 23.07.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया। महिलाओं/बालिकाओँ को “मिशन शक्ति” व ‘‘शक्ति दीदी’’ के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई। इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वायड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की

(2). आज दिनाँक 23.07.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी।

(3). आज दिनांक 23.07.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक जनपद चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी द्वारा पुलिस लाइन में मंगलवार परेड की सलामी लेकर परेड का निरीक्षण किया गया । परेड में अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिसकर्मियों की ड्रिल का निरीक्षण किया । बाद परेड महोदय द्वारा पुलिस लाइन का भ्रमण कर परिवहन शाखा, मैस, बैरिक, सीपीसी कैन्टीन, आरओआईपी डायल 112, रेडियो कन्ट्रोल रूम. क्वार्टर गार्द,स्टोर रूम का निरीक्षण कर लाइन सूबेदार श्री राकेश समाधिया को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये । तत्पश्चात महोदय द्वारा कर्मचारीगणों को अर्दली रुम किया गया ।

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपहृतों/गुमशुदाओं की बरामदगी हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन मुस्कान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक सरधुवा श्री आशुतोष तिवारी के मार्गदर्शन में थाना सरधुवा पुलिस ने घर से रास्ता भटके बालको सकुशल परिजनों के सुपुर्द किया गया ।

उल्लेखनीय है कि आज दिनांक 23.07.2024 को थाना सरधुवा में नियुक्त उ0नि0 श्री राजेश कुमार राय व मुख्य आरक्षी सुशील कुमार कस्बा सरधुवा में मोर्निंग वाक पर थे कि इस दौरान कस्बे में एक 08 वर्षीय बालक रोता हुआ मिला, जिसे शांत करा कर उससे उसका नाम पता पूंछा गया तो उसने अपना नाम मुजाहिद पुत्र वाजिद अली उम्र 08 वर्ष निवासी ग्राम चकरेही थाना कमासिन जनपद बांदा बताया तथा यह भी बताया कि वह रास्ता भटक कर यहां आ गया है । उ0नि0 श्री राजेश कुमार राय व मुख्य आरक्षी सुशील कुमार द्वारा सी-प्लान एप्प की मदद से ग्राम चकरेही सम्पर्क कर बालक के परिजनों का नम्बर प्राप्त कर उनसे सम्पर्क कर उन्हे थाना सरधुवा बुलाया गया । बालक के चाचा मोहम्मद अब्बाज पुत्र मुनीर निवासी चकेरी थाना कमासिन जनपद बांदा थाना सरधुवा आये तथा बालक को सकुशल उनके सुपुर्द किया गया। पुलिस की इस बुद्धिमत्ता के लिये बालक के परिजनों द्वारा पुलिस की सराहना करते हुये पुलिस का धन्यवाद दिया गया। बालक को पाकर परिजनों के चेहरे की मुस्कान वापस लौटी ।

<u>सुपुर्दगी करने वाली टीमः-</u>

1.उ0नि0 श्री राजेश कुमार राय थाना सरधुवा

2.मुख्य आरक्षी सुशील कुमार

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्रीमती रीता सिंह के मार्गदर्शन में थाना पहाड़ी पुलिस ने नाबालिक से छेड़छाड़ के आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 05.05.2024 को एक पीड़िता द्वारा थाना पहाड़ी में सूचना दी कि बुंदेला पुत्र रामध्वज निषाद निवासी रईयापुरवा मजरा गढ़ीघाट थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट ने उनके साथ छेड़छाड़ की है तथा उलाहना देने पर उसके माता पिता को गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी दी है । इस सूचना पर थाना पहाड़ी में मु0अ0सं0 94/2024 धारा 354,504,506 भादवि0 व 08 पॉक्सो एक्ट बनाम बुंदेला उपरोक्त पंजीकृत किया गया । घटना का संज्ञान लेकर प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी द्वारा मुकदमें की विवेचना एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु उ0नि0 श्री अवधनारायण को निर्देशित किया गया । उ0नि0 श्री अवधनारायण एवं उनकी टीम द्वारा अथक प्रयास करते हुये आज दिनाँक 23.07.2024 को अभियुक्त बुंदेला उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया ।।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

बुंदेला पुत्र रामध्वज निषाद निवासी रईयापुरवा मजरा गढ़ीघाट थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट

<u>गिरफ्तरी करने वाली टीमः-</u>

1.उ0नि0 श्री अवधनारायण थाना पहाड़ी

2.आरक्षी शुभम द्विवेदी

(6). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री दुर्गविजय सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री शम्भू शरण सिंह तथा उनके हमराही द्वारा अभियुक्त राजेश पुत्र रामदास निवासी गिदुराहा थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को 30 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के विरुद्ध थाना मानिकपुर में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया ।

बरामदगीः-

30 क्वार्टर देशी शराब

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1.उ0नि0 श्री शम्भूशरण सिंह थाना मानिकपुर

2.आरक्षी अमित द्विवेदी

(7). नागरिकों के जीवन में वर्तमान समय में इंटरनेट, मेल एवं सोशल मीडिया ने बड़ी जगह बना ली है, ऐसे में दिनचर्या एवं ऑफिस के कार्यों में प्रतिदिन हमें इसका उपयोग करना होता है लेकिन कुछ जालसाजों द्वारा सोशल मीडिया अकाउंट के साथ ही ईमेल अकाउंट हैक कर धनराशि मांगने की लगातार शिकायत मिल रही है इसी को लेकर चित्रकूट साइबर सेल ने नागरिकों हेतु एडवाइजरी जारी की है।

फ्रॉड के तरीका

वर्तमान में जालसाजों द्वारा साइबर अटैक कर आम नागरिकों के गूगल अकाउंट/जी-मेल आईडी हैक किये जा रहे हैं। हैकर द्वारा जी-मेल आईडी हैक करने के बाद पीड़ित का मोबाइल नंबर और रिकवरी ईमेल आईडी चेंज कर और अन्य फर्जी मोबाइल नंबर व ईमेल आईडी को अपडेट किया जा रहा है। ऐसा कर देने से पीड़ित अपने अकाउंट का पासवर्ड रीसेट नहीं कर पा रहे हैं। अकाउंट हैक हो जाने से पीड़ित को अपने मोबाइल हैंडसेट में सेव कॉन्टेक्ट्स दिखना बंद हो जाता है, क्योंकि पीड़ित अपने जी-मेल अकाउंट का एक्सेस खो चुका होता है। जीमेल आईडी हैक हो जाने की पश्चात हैकर द्वारा पीड़ित के गूगल ड्राइव पर सेव फोटो, वीडियो कॉन्टेक्ट्स आदि का दुरुपयोग किया जा रहा है। इसके साथ ही पीड़ित के गूगल अकाउंट को अन्यत्र वेबसाइट पर रजिस्टर कर अपराध कार्य करने हेतु भी उपयोग में लाया जा सकता है।

यह सावधानी रखनी है

साइबर सेल प्रभारी चित्रकूट निरीक्षक श्री निशिकांत राय एवं उनकी टीम ने बताया कि अपने अकाउंट को सुरक्षित रखने के लिए अनजान नंबरों से आए हुए कॉल पर कॉलर द्वारा बताई गई बातों पर विश्वास ना करें, मोबाइल फोन में कोई भी संदिग्ध एप्लीकेशन या एपीके फाइल डाउनलोड ना करें। ई-मेल टेक्स्ट मैसेज/व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि के मैसेज में आयी नीले रंग की लिंक (यूआरएल) पर क्लिक न करें समस्त ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अकाउंट (जैसे गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप आदि) पर टू-स्टेप वेरीफिकेशन ऑप्शन हमेशा इनेबल रखें। अपने गूगल अकाउंट के सिक्योरिटी कोट्स को किसी के साथ शेयर ना करें। गूगल पासवर्ड कभी भी अपना मोबाइल नंबर या अपनी जन्म दिनांक ना रखें पासवर्ड हमेशा अल्फान्यूमैरिक ही रखें। यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का साइबर फ्रॉड/अपराध घटित होता हो जाता है तो सबसे पहले साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर साइबर पर अपनी शिकायत रजिस्टर करें।

(8). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में सामाजिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केन्द्र पुलिस टीम द्वारा आपसी परिवारिक झगड़े को समाप्त कराकर 01 परिवार में सुलह कराते हुए परिवार को टूटने से बचाया।

आवेदिका श्रीमती अनीसा देवी पुत्र शिवचरन निवासी कस्बा व थाना मऊ जनपद चित्रकूट द्वारा पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया कि उनके पति श्री गंगादयाल पुत्र धर्मपाल निवासी लालता रोड थाना मऊ जनपद चित्रकूट एवं ससुराल पक्ष द्वारा गाली गलौज,मारपीट व लड़ाई झगड़ा कर प्रताड़ित करते है एवं दहेज की मांग करते हैं। पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा प्रार्थना-पत्र के निस्तारण हेतु प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र को निर्देशित किया गया। परिवार परामर्श केन्द्र प्रभारी उ0नि0 श्रीमती गुड्डी देवी, महिला आरक्षी माद्री तोमर, महिला आरक्षी शिल्पा पाण्डेय, महिला आरक्षी सविता देवी द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायतों को विस्तारपूर्वक सुनकर समझकर द्वितीय पक्ष से सम्पर्क करके उन्हें पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केंद्र बुलाया गया तथा दोनों पक्षों को समझाया गया। दोनों पक्षों द्वारा भविष्य में आपस में मारपीट,गाली गलौज व लड़ाई झगड़ा न करने तथा परिवारिक कर्तव्यों का पालन करने की बात कही गयी। आपसी सुलह होने पर दम्पत्ति जोड़े को एक दूसरे के साथ-साथ आपस में सामन्जस्य बिठाकर एवं परिवारिक दायित्यों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी।

समझौता कराने वाली टीमः-

1.प्रभारी परिवार परामर्श केंद्र उ0नि0 श्रीमती गुड्डी देवी
2.महिला आरक्षी माद्री तोमर
3.महिला आरक्षी शिल्पा पाण्डेय
4.महिला आरक्षी सविता देवी

(9). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अकुंश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी मऊ श्री जय करन सिंह के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री विनोद कुमार राय के मार्गदर्शन में थाना मऊ पुलिस टीम ने परानु बाबा मेले में हुयी चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुये 02 महिल अभियुक्तों को पीली धातु की चोरी की 04 चैन के साथ गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 19.07.2024 को थाना मऊ अन्तर्गत परानु बाबा आश्रम में लगे मेले से 02 महिलाओं के गले से चैन चोरी कर ली गयी थी जिसके सम्बन्ध में थाना मऊ में मु0अ0सं0 223,224/2024 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किये गये थे। प्रभारी निरीक्षक मऊ द्वारा घटना के अनावरण हेतु उ0नि0 श्री रामकृत यादव को निर्देशित किया गया था। उ0नि0 श्री रामकृत यादव तथा उनकी टीम द्वारा अथक प्रयास करते हुये मुखबिर की सूचना पर विवेचना से प्रकाश में आयी अभियुक्ता 1. बुदली पत्नी दुर्गा उम्र 25 वर्ष 2. शिवकुमारी पत्नी धर्मवीर निवासीगण बेरुई थाना सरायं अकिल जनपद कौशाम्बी उम्र 45 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। जामा तलाशी से अभियुक्ताओं के कब्जे से 04 पीली धातु की चैन बरामद हुयी। पूंछतांछ में अभियुक्ताओं ने बताया कि हम दोनों जिविकोपार्जन के लिये चोरी करती हैं। परानु बाबा मेले में दिनाँक 19.07.2024 को तथा इससे पूर्व 04 महिलाओं के गले से चैन चोरी की थी। महिलाओं के कब्जे से चोरी की चैन बरामदगी के आधार पर उपरोक्त दोनों मुकदमों में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्ताओं का विवरणः-

1. बुदली पत्नी दुर्गा निवासी ग्राम बेरुई थाना सरायकिल जनपद कौशाम्बी
2. शिवकुमारी पत्नी धर्मवीर निवासी बेरुई थाना सरायकिल जनपद कौशाम्बी

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-
1.उ0नि0 रामकृत यादव थाना मऊ
2.उ0नि0 यूटी दिव्यांश पाण्डेय
3. म0का0 पल्लवी
4. का0चा0 मनीष यादव

(10). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री दुर्गविजय सिंह एवं पैरोकार मुख्य आरक्षी अजय कुमार द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायाधीश ग्राम न्यायालय मानिकपुर सुश्री खुशबू चन्द्रा द्वारा थाना मानिकपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 95/2020 धारा 380,411 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त लवकुश पुत्र अंगोला निवासी डाडीपुरवा मजरा चुरेह थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 2500/- रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।